

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक-499/APO-2019-20/

दिनांक 06 सितम्बर, 2019

सेवा में,

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, हल्द्वानी।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल जोन, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं जोन, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषय:- नये प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम- 2016 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 के प्राविधानों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2016 को अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (Compensatory Afforestation Fund ACT 2016) के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 (Compensatory Afforestation fund Rules, 2018) की अधिसूचना जारी की गई है। तत्क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2018 को जारी अधिसूचना द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2018 से प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 के समस्त प्राविधान लागू किये जा चुके हैं।

2. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 15(I)(i) के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना को राज्य कैम्पा की कार्यकारी समिति तथा संचालन समिति की संस्तुति उपरान्त, इसका अन्तिम अनुमोदन राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा किया जाना है।
3. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 18(I)(i) अनुसार वार्षिक कार्ययोजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली 2018 की धारा 39 अनुसार प्रत्येक दशा में 31 दिसम्बर तक राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु उपलब्ध करवाया जाना है। इस क्रम में वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना को संकलित कर कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति के माध्यम से तदनुसार भारत सरकार को 31 दिसम्बर, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना है।
4. उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि वर्ष 2020-21 हेतु अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ प्रभागों/कार्यालयों की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव इन दोनों अभिलेखों में वर्णित नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि कैम्पा के अन्तर्गत प्रस्तावित की जाने वाली समस्त गतिविधियों को उक्त अधिसूचित नियमावली की धारा 39 के पृष्ठ सं०-51 फार्म-XII (संलग्नक-1) अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना है। समस्त क्रियान्वयन अभिकरण फार्म-XII में उल्लिखित भाग-2 एवं 3 के अनुसार समस्त गतिविधियों का विवरण पत्र में दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार संकलित कर वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। आपकी सुगमता के दृष्टिगत विभिन्न गतिविधियों के प्रस्ताव तैयार करवाने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न कर प्रेषित हैं। फार्म-XII के भाग-1 व भाग-4 से संबंधित सूचना इस कार्यालय के स्तर पर पूर्ण की जायेगी।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रबंधन, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं से अपेक्षा है कि अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित संकलित वार्षिक कार्ययोजना को दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक संस्तुति सहित अनिवार्य रूप से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध

करवाने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि प्रस्तावों को संकलित कर इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व उसके कैम्पा के प्रचलित नियमों के अंतर्गत औचित्य एवं उपयोगिता के प्रति भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें।

वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश:-

वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 हेतु प्रस्ताव की अधिकतम सीमा निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

क्रम	स्तर/अभिकरण	कार्यमद	वर्ष 2020-21 की प्रस्तावित बजट सीमा (करोड़)	निर्धारित प्रारूप
1	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड।	1. एन0पी0वी0 के अन्तर्गत वन पंचायतों का सुदृढिकरण मद में वनीकरण, चारागाह विकास, भूमि एवं जल संरक्षण कार्य, माइक्रोप्लानिंग, क्षमता विकास एवं समुदाय के माध्यम से वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य आदि।	₹ 15.00	संलग्नक-2
2	प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड।	1. एन0पी0वी0 के अन्तर्गत वन्यजीव प्रबन्धन संबंधी गतिविधियां, अवस्थापना विकास (चौकी निर्माण, वन मार्ग मरम्मत आदि) वनीकरण, पौधशाला, मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य, वनाग्नि नियंत्रण आदि। 2. अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां (पथ वृक्षारोपण, गैप फिलिंग वनीकरण, ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौनी प्रजाति का पौध रोपण, रिवर ट्रेनिंग)। 3. क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत यथा आवश्यकता अग्रिम मृदा कार्य, वनीकरण, अनुरक्षण आदि संबंधी गतिविधियां।	₹ 45.00	संलग्नक-3 एवं यथा आवश्यक संलग्नक-5 के प्रारूप
3	अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं।	अनुमोदित कैट प्लान के सापेक्ष क्रियान्वयन।	₹ 35.00	संलग्नक-4
4	अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, हल्द्वानी।	एन0पी0वी0 के अन्तर्गत क्षमता विकास एवं वन अनुसंधान।	₹ 5.00	संलग्नक-5 के प्रारूप 5.9 व 5.10
5	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल।	1. क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत यथा आवश्यकता अग्रिम मृदा कार्य, वनीकरण, अनुरक्षण आदि संबंधी गतिविधियां। 4. अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां (पथ वृक्षारोपण, गैप फिलिंग वनीकरण, ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौनी प्रजाति का पौध रोपण, रिवर ट्रेनिंग)। 5. एन0पी0वी0 के अन्तर्गत अवस्थापना विकास (चौकी निर्माण, वन मार्ग मरम्मत आदि), वनीकरण, पौधशाला, मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य, वनाग्नि नियंत्रण आदि।	₹ 70.00	संलग्नक-5
6	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं।	1. क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत यथा आवश्यकता अग्रिम मृदा कार्य, वनीकरण, अनुरक्षण आदि संबंधी गतिविधियां। 2. अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियां (पथ वृक्षारोपण, गैप फिलिंग वनीकरण, ट्रांसमिशन लाइन के नीचे बौनी प्रजाति का पौध रोपण, रिवर ट्रेनिंग)। 3. एन0पी0वी0 के अन्तर्गत अवस्थापना विकास (चौकी निर्माण, वन मार्ग मरम्मत आदि) वनीकरण, पौधशाला, मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य, वनाग्नि नियंत्रण आदि।	₹ 50.00	संलग्नक-5
		कुल	₹ 220.00	

नोट:- 1. प्रस्तावों को अन्य किसी स्तर से सीधे इस कार्यालय को प्रेषित न किया जाए।

2. भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्ययोजना/वन्यजीव प्रबन्धन योजना के निरूपण, संचालन व्यय, विविध (Miscellaneous) एवं कंटिजेंसी सम्बंधी प्रस्ताव न प्रेषित किये जाएं। इसके अतिरिक्त अधिसूचित नियमों में वर्णित नियम 5 के उपखण्ड 4 में वर्णित प्रतिबंधित कार्यकलापों हेतु भी प्रस्ताव न दिये जाये।

i. वार्षिक कार्ययोजना निरूपण हेतु धनराशि सांकेतिक है। विभिन्न अभिकरणों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार इससे कम अथवा अधिक का भी प्रस्ताव प्रेषित किया जा सकता है परन्तु इस हेतु पूर्ण औचित्य भी अपेक्षित होगा। यदि किसी अभिकरण द्वारा उक्त धनराशि से अधिक का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो स्वीकृति होने की दशा में उपरोक्त अनुमोदित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभिकरण का ही होगा।

ii. एन.पी.वी. के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के नियम-2(5)(2) के अधीन अनुमन्य न्यूनतम 80% एवं नियम-2(5)(3) के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम 20% की गतिविधियों अनुसार पृथक-पृथक दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए। सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तावित कार्यों में व्यय संबंधी नियमों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. शुद्ध वर्तमान मूल्य के उपयोग की रीति-

(1) राज्य निधि में जमा की गई निवल वर्तमान मूल्य और शास्ति निवल मूल्य हेतु प्राप्त रकमों का उपयोग उपनियम (2) और उपनियम (3) में विहित रीति से किया जाएगा

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित रकमों की अस्सी प्रतिशत (80%) से अत्यून रकम राज्य में वन तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्

(क) सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन

(ख) कृत्रिम पुनरुज्जीवन

(ग) वनों में वन-वर्धन संबंधी क्रियाकलापः

(घ) रोपणों और वनों का संरक्षण

(ङ) वनों में नाशक जीव और रोगों का नियन्त्रण

(च) दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलापः

(छ) वनों में मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्यः

(ज) अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन योजना/कार्यकारी योजना में यथा विहित वन्यजीव पर्यावास का सुधार

(झ) संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को अन्यत्र बसाया जाना

(ञ) वन्यजीव गलियारों में आने वाली वनेतर भूमि पर रोपण तथा वनावरण का पुनरुज्जीवन

(ट) पशु बचाव केन्द्र की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण और वन्य पशुओं के लिए पालन उपचार सुविधायें

(ठ) वन की सीमा के निकटतम गांवों में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट काष्ठ की बचत करने वाले उपकरणों और अन्य वन उत्पादों की बचत करने वाले यंत्रों की आपूर्ति

(ड) जैवविधिता तथा जैव संसाधनों का प्रबंधन

स्पष्टीकरण: ऐसे मामलों में जहां वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण की स्कीमों के लिए निधियां विनिर्दिष्ट रूप से एकत्रित की जाती हैं। और राज्य निधि में जमा कराई जाती हैं वे निधियां विनिर्दिष्ट वन्यजीव क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबंधन के लिए खर्च की जानी चाहिए न कि निवल वर्तमान मूल्य से।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रकमों की बीस प्रतिशत (20%) से अधिक रकम वन तथा वन्यजीवों से संबंधित अवसंचना को सुदृढ़ करने राज्य निधि में जमा कराई जाती हैं, वे निधियां विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबंधन के लिए खर्च की जानी चाहिए न कि निवल वर्तमान मूल्य से।

(क) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों के लिए, नवीनतम सुविधाओं सहित आधुनिक नर्सरियों की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण और अन्य रोपण सटॉक उत्पादन सुविधायें।

(ख) पर्यासंवर्धन के परिक्षण, भूमि पशुओं और सूक्ष्म जीवों की लोक विविधता और विशिष्ट विकसित किस्मों पालतू पशुधन और नस्लों का संरक्षण और जैवाविविधता से संबंधित ज्ञान के इतिवृत्त लेखन सहित जैवीय विविधता का संरक्षण, वहनीय उपयोग और प्रलेखनः

(ग) वन और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए संसूचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों या उपकरणों की खरीद और अनुरक्षणः

(घ) निरीक्षण मार्गों वन क्षेत्र में वन सड़कों अग्रिम रेखाओं, निगरानी टावरों, चेक पोस्टों और इमारती लकड़ी के डिपों का संनिर्माण, उन्नयन और अनुरक्षणः

(ङ) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अग्रिम पंक्ति के स्टाफ के लिए वनों में आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माणः

(च) राज्य निधि से किए जाने वाले वन और वन्यजीव के संरक्षण के कार्यों के लिए राज्य वन विभाग के नियमित स्टाफ की सहायता करने के लिए स्थानीय लोगों या श्रमिकों को अनियमित रूप से लगाया जानाः

(छ) प्रतिपूरक वनीकरण कार्यों, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, आवाह क्षेत्र शोधन और राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रणः

(ज) राज्य निधि के लिए किये जाने वाले कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी सहित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकनः

(झ) राज्य प्राधिकरण द्वारा संवर्धित सरकारी भूमि पर वनों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा दिए जाने के लिए सहायिकी वाले मूल्य पर प्रामाणिकरण नर्सरी के माध्यम से गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

(ज) वन प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण मानकों का विकास:

(ट) राज्य सरकार द्वारा संबंधित सरकारी भूमि वनों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा दिये जाने के लिए रोपण स्टॉक का वितरण:

परन्तु यह यदि उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलाप को कार्यपालक स्कीम (working plan) के अनुसार किए जाएंगे:

और परन्तु यह भी कि यदि मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किए जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किए जाते हैं तब उपनियम 2 और 3 में उल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा वन प्रबंधन समिति या ग्राम वन समिति, जो कि मामला हो, के परामर्श से किए जाएंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कहीं प्रयोज्य हो, अनुरूप होंगे:

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किए जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य योजना द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उन्हें मामले के अनुसार, संबंधित ग्राम सभा अथवा वन संरक्षण समिति अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के तहत जहां लागू हो, के अनुरूप होंगे।

वार्षिक कार्ययोजना को संकलित करते समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाए:-

- (क) क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियों के अन्तर्गत वृक्षारोपण (गैप फिलिंग, पथ वृक्षारोपण एवं बौनी प्रजाति वृक्षारोपण) के कार्य पूर्व से ही स्थल विशिष्ट है अर्थात् इनका स्थान पूर्व से ही निर्धारित है। इन कार्यों का प्रस्ताव वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणवार, भौतिक लक्ष्य, चयनित स्थल का जी.पी.एस. विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थल विशिष्ट प्रस्तावित गतिविधियों हेतु भी यह समस्त विवरण दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार चयनित स्थल में बिना सक्षम कार्यालय की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- (ख) वांछित विवरण के अभाव में प्रस्तावित गतिविधि को वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा।
- (ग) क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्ताव वास्तविक आधार पर तैयार किये जाये एवं उनका अनुरक्षण भी 7 वर्ष हेतु किया जाना है। वनीकरण के प्रस्तावित अनुरक्षण हेतु धनराशि का प्राविधान/प्रस्ताव तभी किया जाए, जब वृक्षारोपण की सफलता निर्धारित मानकों के अनुसार हो। संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी इसकी पुष्टि हेतु उत्तरदायी होंगे।
- (घ) मृदा एवं जल संरक्षण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के प्रस्ताव Springshed Management Consortium (SMC) के मानकों के आधार पर किया जाए।
- (ङ) प्रस्तुत प्रस्तावों का क्रियान्वयन यदि राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो कार्यपालक स्कीम (कार्ययोजना/प्रबंधन योजना) के अनुसार किए जाएंगे।
- (च) समस्त प्रस्ताव अंग्रेजी के "फॉन्ट "Times New Roman" के "साइज 10" में संलग्न Excel फाइल (.xls) में तैयार किये जाये एवं उनको सॉफ्ट-कॉपी में भी सक्षम स्तर से इस कार्यालय को प्रेषित किये जाये।
- (छ) विशेष ध्यान दिया जाये कि भारत सरकार द्वारा जारी नियम 5 के उपखण्ड 4 में वर्णित कार्यकलापों हेतु प्रस्ताव न दिये जाये। सुलभ संदर्भ हेतु इन कार्यकलापों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात्

(क) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन यात्रा भत्तों, चिकित्सीय व्यय आदि का भुगतान

(ख) विदेशी दौरे करना:

(ग) अधिकरणों अथवा न्यायलयों में दर्ज किए गए मामलों जो राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन नहीं हैं, का प्रतिवाद करने के लिए विधिक सेवाओं के लिए भुगतान

(घ) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बड़े अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यलयी भवनों का निर्माण

- (ड) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बड़े अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालयी भवनों का निर्माण;
- (च) वनीकरण प्रयोजनार्थ भूमि को लीज पर देने, किराए पर देने और उसकी खरीद करने;
- (छ) विभिन्न वन प्रभागों में राज्य निधि से किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के आवासों और कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों और जेनेरेटर्स सेटों सहित फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, फिक्चर्स की खरीद;
- (ज) कार्ययोजना निर्धारण के तहत राजस्व सृजन के लिए वृक्षों की वाणिज्यिक कटाई द्वारा वन में सृजित खाली स्थानों में कार्य योजना के अनुसार अनिवार्य वनीकरण
- (झ) ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कार्यों अथवा बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए स्कीमों के आंशिक रूप से वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ सरकार की अन्य स्कीमों के तहतफ किए गए वन और वन्यजीव संरक्षण और अन्य कार्यकलापों को करने के लिए;
- (ञ) चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी की स्थापना, विस्तारण और उन्नयन।
- (ट) विद्यमान वन निगमों, बोर्डों आदि को नए वन निगमों बोर्डों आदि को अनुदान या साम्या के जरिए कारण प्रभावित हुए हैं।


स्पष्टीकरण 2 निवल वर्तमान मूल्य के लिए प्राप्त रकमों के किसी अन्य बजट या पूजी या बचे हुए कार्यों के क्रियान्वयन के अंतर्गत किन्ही अन्य राज्य स्कीमों के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उप नियम (2) और उन नियम (3) के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्य एकमात्र आधार पर होंगे और विभिन्न घटकों के अंतर्गत अनुमत्य कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

- (ज) उक्त के अतिरिक्त यदि चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्य किन्ही ठोस कारणों से पूर्ण नहीं हो पाये/पा रहे हों एवं उन्हें अगली 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाना हो तो ऐसी गतिविधियों को 2020-21 की वार्षिक कार्ययोजना के अतिरिक्त, पृथक से प्रस्तावित किया जाय, ताकि उन्हें पुनर्वैद्य किये जाने हेतु कैम्पा की कार्यकारी एवं संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। यह स्पष्ट करना है कि इस धनराशि का प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना हेतु उक्त वर्णित धनराशि की सीमा के अतिरिक्त होगा। इस प्रकार की अवशेष गतिविधियों को पुनर्वैद्य किये जाने के प्रस्ताव को किसी प्रकार का आश्वासन न समझा जाय कि ये गतिविधियां अनिवार्य रूप से पुनर्वैद्य हो पायेंगी। इस पर अन्तिम निर्णय उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी एवं संचालन समिति के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार के स्तर पर लिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित स्तर पर संकलित वार्षिक कार्ययोजना (2020-21) को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। इस संबंध में यदि किसी और जानकारी की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय में किसी भी कार्य-दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 एवं प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 की अधिसूचना उत्तराखण्ड कैम्पा की वेबसाइट www.ukcampa.org.in के मुख्य वेबपेज पर दायीं ओर उल्लिखित Download Section में भी उपलब्ध हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(डा० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक: 499 / APO-2019-20 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 02.09.2019 को आहूत बैठक के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड (HoFF) एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(डा० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 499 / APO-2019-20 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- समस्त वन संरक्षक/निदेशक-राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड एवं समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित वार्षिक कार्ययोजना को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से सक्षम अधिकारी को निर्धारित तिथि (दिनांक 30.09.2019) के दृष्टिगत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6/9/19

(डा० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

प्रमुख वन संरक्षक/निदेशक-राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड

प्रमुख वन संरक्षक/निदेशक-राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखण्ड